राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–1)

एफ 2(3)ग्रावि/ग्रुप–1/2006 जयपुर, दिनांक 11 FEB 2015

–:आदेश:–

सार्वजनिक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की निर्माण कार्य संपादन बाबत कार्यप्रणाली अलग–अलग होने के कारण इन अभियंताओं को विभाग में पदस्थापन पर समय–समय पर प्रशिक्षित किया जाता है। परन्तु प्रतिनियुक्ति पर आए अभियन्तागण का संबंधित विभाग द्वारा कई बार निर्धारित अवधि से पूर्व सीधे ही इनका स्थानान्तरण कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इन अभियंताओं की सेवाओं का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है।

अतः सभी जिला कलक्टर्स/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को निर्देशित किया जाता है कि राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की सहमति बिना सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा जल संसाधन विभाग से आये अभियंताओं को पैतृक विभाग के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

(श्रीमत् पाण्डेय)
प्रमुख शासन सचिव,

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
4. शासन सचिव, एवं आयुक्त पंचायतीराज विभाग ।
5. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
6. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,(ग्रा.वि.प्र.)।
7. समस्त अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,।
8. श्री कन्हैयालाल सेवानी, प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग राज0 जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
9. रक्षित पत्रावली।

10/2/15
संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)